

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक: एफ 4-5/2017/55-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07/12/2017

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषय:-चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों तथा संबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सकीय उपकरणों के कय आदेश दिनांक 25 मार्च 2017 के संबंध में।


संदर्भ:-राज्य शासन का आदेश क्रमांक एफ 4-8/2017/55-2, दिनांक 25 मार्च, 2017 तथा राज्य शासन का आदेश क्रमांक एफ 4-8/2017/55-2, दिनांक 03 अप्रैल, 2017

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के संमस्त चिकित्सा महाविद्यालयों व संबद्ध अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरण कय करने हेतु पूर्व में संदर्भित आदेश से भारत शासन के (4) संस्थाओं को अधिकृत किया था। भारत शासन की उक्त 4 संस्थाओं के अतिरिक्त संदर्भित आदेश की कण्डिका (i) अनुसार भारत शासन के संस्थान GEM को भी उक्त सूची में समाहित किया जाता है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

2/ यह आदेश वित्त विभाग की टीप यू0ओ0 क0 881/आर/1150/136/17 दिनांक 05.12.2017 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(शर्मिला ठाकुर)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग


पृ. क्र. एक 4-5 / 2017 / 55-2
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 07 / 12 / 2017

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर उनकी उल्लेखित टीप दिनांक 05.12.2017 के संदर्भ में।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. आयुक्त, राज्य संभाग, भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / सागर, मध्यप्रदेश
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तिलहन संघ भोपाल।
6. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / सागर, मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
8. प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
9. संचालक, मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
10. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / सागर, मध्यप्रदेश।
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
12. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद, भोपाल।
13. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश महाकौशल, नर्सिंग कौंसिल, गौवंतिका परिसर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. गार्ड फाईल।

Vipul Singh
for mail & website
to upload etc

07/12/17


अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग